11.6.2018 पत्रावली कैम्प कोर्ट सलेमगढ़ में पेश की गई। वकील प्रार्थी उप.। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा को तादफैसला दावा कन्फर्म करने का निवेदन किया। अप्रार्थी नंदराम को समन की मूजवार मे तामील हो चुकी है बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील प्रार्थी ने बहस करते हुए कथन किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति पर अपने पक्ष मे होने का कथन किया साथ मे वकील प्रार्थी ने 3 बिन्दु अपने पक्ष मे होने का कथन किया, वाद बहुलता को रोकने एवं वादगत सम्पत्ति की संरक्षा हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.8.2017 को तादफैसला दावा कन्फर्म निवेदन किया। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 28-8-2017 को तादावा फैसला प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.8.2017 को तादावा फैसला कन्फर्म की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमकी जमा दाखिल दफ्तर हो।